

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 09, गुरुवार, शके 1947- जनवरी 29, 2026 Magha 09, Thursday, Saka 1947- January 29, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
कार्यालय नगर परिषद् जैसलमेर (राजस्थान)
अधिसूचना
जैसलमेर, जनवरी 28, 2026

संख्या न.प.जै./राजस्व/2025-26/2141 दिनांक 15.12.2025-नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर शहर में आने वाले पर्यटक वाहनों पर यात्रीकर/पर्यटक कर वसूल करने हेतु नगर परिषद् जैसलमेर की बैठक दिनांक 15.12.2025 को निर्णय लिया गया। इसके संदर्भ में नगर परिषद् की बैठक दिनांक 15.12.2025 के प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा निर्धारित कमेटी में दिनांक 15.12.2025 को लिए गए निर्णय एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति आदेश क्रमांक.प.8(ग)(145)नियम/डीएलबी/2025/402 दिनांक 12.01.2026 के अनुसार पर्यटक वाहनों पर यात्रीकर/पर्यटक कर को निम्नानुसार वसूल किया जाएगा:-

क्र.स. वाहन का प्रकार वाहनों से वसूल की जाने वाली राशि रु. में

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1 35 सीटर बस | 200 रूपये |
| 2 25 सीटर बस | 150 रूपये |
| 3 फाइव सीटर से बड़ी कार | 100 रूपये |
| 4 लोकल टैक्सी पार्सिंग | |

कार/जीप (जो पर्यटक वाहन के रूप में उपयोग हो) 50 रूपये

- | | |
|------------------------------|----------|
| 5 अन्य समस्त प्रकार की कारें | 50 रूपये |
|------------------------------|----------|

उपरोक्त वाहन कर में समस्त प्रकार के राजकीय वाहनों (केन्द्रीय/राज्य सरकार) एम्बुलेंस एवं स्थानीय निजी वाहनों (टैक्सी वाहनों को छोड़कर) को छूट प्रदान की जाती है। यह अधिसूचना सक्षम स्तर से अनुमोदित है। उपरोक्त नियम दिनांक 01.02.2026 से लागू होंगे।

लजपाल सिंह,
आयुक्त,
नगर परिषद् जैसलमेर।